२२ 07/19

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है।

बरवक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने तर्क प्रस्तुत किये कि विवादग्रस्त आराजी ख०नं० 181 ता 187, 191 ता 202, 204, 204, २10 ता २२1, 223, 226 ता 228 तन ग्राम नानी गुमानसिंह प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण सं० 3 ता 9 के पूर्वज जयराम की पुत्रियों

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

है। उक्त भग्गूराम के हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार दौला उर्फ माला, नारायण, हनुमान, शिवदयाल, गुल्ला व प्रभातिया वारिस थे। उक्त वारिसों में नारायण एवं प्रभातिया अविवाहित, नाऔलाद, निर्वसीयत फौत हो गये। शेष चार वारिस अपने बाहमी मौखिक बंटवारे अनुसार 1/4 - 1/4 हिस्सा पर काबिज काश्त रहे। उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस (प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं० 3 ता 7) काबिज काश्त है। नारायण की मृत्यु पर अप्रार्थी सं० 2 माला ने नारायण को पिता बताकर नारायण की विरासत का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज करवा लिया जिसका कोई साक्ष्य नहीं था। अर्थात् माला के पक्ष में न कोई गोदनामा न कोई वसीयत ना ही कोई अन्य दस्तावेज था। नामान्तरकरण सं० 75 वर्ष 1972 में भी केवल इतना इन्द्राज है कि माला वारिस नारायण जो हनुमान का जायन्दा पुत्र था अंकित है कहीं भी माला का नारायण का दत्तक पुत्र या वारिस होना अंकित नहीं है। जहाँ तक उक्त नामान्तरकरण का प्रश्न है, नामान्तरकरण पंजिका में काटा-पीटी की गई है। उसी इन्द्राज को काटा जाकर पुनः वही इन्द्राज दर्ज किया गया है जिससे उक्त नामान्तरकरण संदेहास्पद है। गैर कानूनी। कानून के विपरीत इन्द्राज से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। अतः उक्त नामान्तरकरण प्रारम्भतः ही शून्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आ० 11 नि० 12 CPC के जवाब में भी अप्रार्थीगण द्वारा कोई Deed पेश नहीं की गई जिससे यह उपधारणा बनती है कि अप्रार्थीगण के पास उक्त नामान्तरकरण के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं है। अप्रार्थी सं० 2 के राशन कार्ड, निर्वाचक नामावली आदि में कहीं भी दत्तक पुत्र नारायण दर्ज नहीं होकर माला पुत्र नारायण दर्ज है। पूर्व में सहायक कलक्टर फुलेरा में "कजोड़ बनाम प्रभातिया" नामक वाद दर्ज हुआ जिसमें भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

यही विवाद विषय थे किन्तु किसी रिश्तेदार ने बीच में आकर आश्वासन बाबत राजीनामा किया जिस कारण उक्त वाद में पैरवी नहीं की। उक्त वाद के बाद अप्रार्थी ने निर्वाचन नामावली व राशन कार्ड में नाम बदलवाया। निर्वाचन नामावली में बिना किसी दस्तावेज के माला पुत्र हनुमान के स्थान पर माला पुत्र नारायण दर्ज करवा लिया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की Class-I के अनुसार भी मृतक नारायण का वारिस भाई होना चाहिए जबकि हनुमान ने माला को नारायण का पुत्र बना दिया। मृतक प्रभातिया के वृद्धावस्था के जीवन काल में हनुमान ने प्रभातिया से अपनी पुत्रवधु मनकोरी के नाम लगभग 2 लाख रुपये के प्रतिफल पर विक्रय लेख निष्पादित करवा लिया। उस जमाने में प्रभातिया जो कि वृद्ध था, को इतने ज्यादा रुपयों की क्या जरूरत पड़ी, मात्र बहला-फुसला कर पंजीयन करवा लिया। जमीन को हड़पने के लिए यह सब किया गया है। प्रार्थीगण सह खातेदार काश्तकार है, अप्रार्थीगण के मध्य मूल विवाद कि माला पुत्र नारायण है या नहीं एवं मनकोरी को हुई उक्त रजिस्ट्री मान्य है या शून्य आदि मूल दावे में तय होना है, किन्तु प्रकरण संदेहास्पद स्थिति है। अत: प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से अपने दत्तक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया ना ही वारिस होने का कोई दस्तावेज ही पेश किया है। अत: प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। अप्रार्थी सं० 2 ने चालाकी से गलत इन्द्राज करवाया है तथा उसी के आधार पर दावा पेश किया गया है। ऐसे में T.I. Confirm नहीं की जाएगी तो मौके पर झगड़ा हो सकता है। मेरे दावे व जवाब दावे से Property in Media साबित है; जहां ऐसी स्थिति हो वहां ऐसे पक्षकार को खुले हाथ नहीं छोड़ा जा सकता जो अनुचित लाभ लेना चाह रहा हो। यदि रीति रिवाजों के हिसाब से गोद लिया बताया जा रहा है तो दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम आ जाने के उपरान्त दत्तक ग्रहण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई। जिन मामलों पर लिखित विधि आ गई हो वहां रिति रिवाज अधिभावी नहीं होते। संहिताबद्ध होने

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

से विधि ही सर्वोपरी है। अप्रार्थी ने अपने दस्ता-
वेज में माला दत्तक पुत्र नारायण नही बल्कि
माला पुत्र नारायण ही दर्ज है। अप्रार्थी ने स्वयं
दस्तावेज बनाये है। माला, नारायण का जायन्दा
पुत्र नहीं है। मौके पर 1/4 या 1/6 कब्जे का
प्रश्न है तो माननीय न्यायालय स्वयं भी मौके
पर जाकर मौका देख सकती है। इस प्रकार सुविधा
का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि
प्रार्थीगण के पक्ष में तादौराने फैसल वाद T.I. con-
firm नही की जाती है तो प्रार्थीगण को 1/4 हि०
से बलात् dispossesed कर दिये जाने पर प्रार्थी-
गण को अपूरणीय क्षति होगी। अतः अपूरणीय
क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में होने पर अप्रार्थीगण
को दावा निर्णित होने तक पाबन्द फरमाया जावे
कि वे विवादित आराजी की मौका सूरत में कोई
बदलाव नहीं करें, प्रार्थीगण को बेदखल नही
करें, कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करें तथा
बेचान, अन्तरण नहीं करें।

वकील प्रार्थीगण की बहस के जवाब
में वकील अप्रार्थीगण ने बरवक्त बहस दलील
प्रस्तुत की, कि विवादित आराजी पुश्तैनी है।
प्रार्थीगण द्वारा सही सजरा खानदान पेश नही
किया गया है। जवाब टी० आई० में पेश सजरा खा-
नदान सही है। नारायण को अविवाहित फौत
बताया गया है जबकि माला पुत्र हकमान अपने
बाल्यकाल में ही अर्थात् हिन्दू उत्तराधिकार
अधिनियम, 1956 के लागू होने से पूर्व ही रीति
रिवाजों से नारायण के गोद चला गया था।
जिसमें Deed की कोई जरूरत नही। माला के
आधार कार्ड में जन्म तिथि 01-01-1955 दर्ज है।
नारायण के फौत होने पर विरासत में माला
पुत्र नारायण बताया है जबकि नामांतरकरण में
द० पु० लिखा है। ग्रा० पं० द्वारा विरासत का नामा-
न्तरकरण गोद जानकर खोला है। प्रार्थीगण द्वारा
उक्त तथ्य को लेकर नामान्तरकरण भरे जाने के
वर्ष अर्थात् 1972 से दावा दायरी तक कोई चाराजोई
नही की। विवादित भूमि को 4 हिस्सों में बांटना
प्रार्थीगण बता कर आ रहे है किन्तु किस खसरे
में कौनसा हिस्सा किस प्रकार बंटा हुआ है, यह
बताकर नही आ रहे हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	के मृतक पूर्वज जग्गु के 6 पुत्रों ने 1/6 - 1/6 मौके पर बांट ली थी, उसी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसने हमारे जवाब में उसका नम्बरवार काबिज काश्त का उल्लेख किया है प्रार्थीगण का 1/4 हिस्सानुसार विभाजन का कथन असाबित है। प्रभातिया ने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त हिस्सा को दिनांक 09/03/2009 को उप पंजीयक कार्यालय में बयान करके विक्रय लेख अप्रार्थिया सं० 1 के नाम तस्दीक करवाया। 2009 से आज तक उक्त विक्रय लेख के बारे में कोई चाराजोई प्रार्थीगण द्वारा नहीं की गई। प्रभातिया को अंधा - बहरा बताया है किन्तु इसका कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रतिफल राशि देकर ही अप्रार्थिया सं० 1 काबिज काश्त है। बिना उक्त विक्रय लेख को चुनौती दिये अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना विधि विरुद्ध है। जब 2009 में विक्रय लेख तस्दीक हुआ उस समय "कजोड बनाम प्रभातिया" मु० नं० 333/16 (दावा) व मु० नं० 184/16 (T.E.) पेश किया। उक्त दावे में भी हमने हाजिर अदालत होकर जवाब पेश किया किन्तु उक्त दावे में सफलता नहीं मिलने की संभावना पर प्रार्थीगण/वादीगण ने अपना दावा खारिज करवा लिया। प्रार्थीगण नया दावा पेश नहीं कर सकते। हमें परेशान करने हेतु बार - बार दावा कर रहे हैं। प्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही गोदपुत्र की जानकारी रही है, जिस बाबत पूर्व दावे में भी चाराजोई नहीं की। हम भी co-tenant हैं, काबिज काश्त हैं। स्वामित्व के कारण सरकारी सुविधा लेने से महरूम हो रहे हैं। माला, नारायण के गोद चला गया तो माला के प्राकृतिक पिता हनुमान की सम्पत्ति/विरासत में माला को कोई हक प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में घोषणा का दावा पोषणीय नहीं है। हमारे जवाब में वर्णित 1/6 हिस्सानुसार स्थगन हेतु भी तैयार हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त हमारे पक्ष में है। अतः प्रार्थना-पत्र टी० आई० खारिज फरमाया जावे।
	पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व पेशशुदा दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधि-

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	वक्तागण उभय पक्ष द्वारा बरवक्त बहस, प्रस्तुत की गई दलीलों पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थना-पत्र टी० आई० व जवाब प्रा० पत्र टी० आई० में अभिकथित तथ्यों तथा विद्वान अभिभावक उभय पक्ष द्वारा बरवक्त बहस प्रस्तुत किये गये तर्कों के आधार पर विवादग्रस्त आराजी "Property in media" साबित होती है साथ ही विवादित पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद्य विषय, यथा विवादग्रस्त आराजी पर विवादित पक्षकारान का 1/4-1/4 हिस्सा पर काबिज काश्त होना (प्रार्थीगण) अथवा 1/6 - 1/6 हिस्सा पर काबिज काश्त होना (अप्रार्थीगण), का निर्धारण मूल वाद में गुणावगुण पर होना है। अतः मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक विवादग्रस्त आराजी के संबंध में विवादित पक्षकारान के मध्य अन्य मुकदमेबाजी को रोकने के न्यायिक उद्देश्य के अनुसरण में उभय पक्षकारान को तादौराने फैसल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि आप विवादग्रस्त आराजी ख० नं० 181 ता 187, 191 ता 202, 204, 210 ता 221, 223, 226 ता 238 रकबा 13.80 है० तक ग्राम ढाणी गुमान सिंह की वर्तमान मौका सूरत में कोई बदलाव नही करें, बेदखली नही करें, कब्जा-काश्त में मजाहमत नहीं करें तथा बेचान, अन्तरण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील हमाकिता मूल वादपत्र हो। निर्णय आज दिनांक 22/07/2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।	
	22/07/2019 उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकैन उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी के/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक. ~~[illegible]~~ को पेश हो।	